CNR No.-UPFR010003102026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः **नीरज कुमार** .....H.J.S **(UP 1907)**

आपराधिक निगरानी सं०–8/2026

1–अतर सिंह उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व०बादशाह
2–गीता देवी पत्नी अतर सिंह उम्र 40 वर्ष
निवासीगण– ग्राम सिलसंडा थाना मेरापुर जिला फर्रूखाबाद।

–––––––निगरानीकर्तागण

प्रति

1–उ०प्र० राज्य
2–जगरूप सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सिलसंडा थाना मेरापुर, जनपद फर्रुखाबाद।

––––––प्रत्युत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, परिवाद संख्या–340/2025 जगरूप बनाम अतर सिंह आदि में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी०डि०) त्वरित न्यायालय, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.10.2025 के विरुद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्तागण को अन्तर्गत धारा 316(2), 251(2), 115(2) बी०एन०एस० में बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किया है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 02/परिवादी जगरूप सिह द्वारा निगरानीकर्तागण/विपक्षी के विरुद्ध, उनको तलब कर दण्डित किए जाने के आशय से एक परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके कथन संक्षेप में है कि परिवादी द्वारा रूपयों की आवश्यकता हेतु अपनी कृषि भूमि खाता सं० 0045 खसरा सं० 404/1 रकवा 0.089, 404/3 रकवा 0.089, 404/4 रकवा 0.089 हे० जिसका कुल रकवा 0.276 हे० स्थित ग्राम सिससंडा परगना शमसाबाद तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद में से रकवा 0.06675 हे० को अंकन रुपए 100000/– में गीता देवी को दिनांक 12.09.2017 को समक्ष गवाहन अतर सिंह व बृजेन्द्र सिंह के विक्रय कर दी। उक्त बैनामा के समय गीता देवी ने परिवादी को 40 हजार रुपये नकद प्राप्त कराये तथा शेष 60 हजार रुपये छः माह में प्राप्त कराने को कहा, किन्तु

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.06.30 16:30:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिवादी द्वारा कई बार शेष धनराशि मांगने पर भी गीता व उसके पति अतर सिंह द्वारा टाल मटोल की जाती रही। दिनांक 03.01.2025 को समय शाम 5 बजे जब परिवादी ने पुनः शेष रुपयों का तकादा किया तो गीता देवी, अतर सिंह, रामकिशोर उर्फ भोला व पप्पू उर्फ दारा सिंह ने एक राय होकर परिवादी को दौडाकर मारापीटा व धमकी दी और पीछा करते हुए परिवादी को घर में घुसकर मारापीटा एवं बचाव में आई परिवादी के भाई की पत्नी को भी मारापीटा। शोर शराबे पर आसपास के लोगों के आ जाने पर उक्त लोग जान माल की धमकी देकर चले गये। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी, कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 को प्रस्तुत मामले को प्रकीर्णवाद के रूप में पंजीकृत किया गया एवं विपक्षी को सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस निर्गत किए गए, अनुक्रम में विपक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के परिवाद में दर्ज होने के प्रसंज्ञान पर सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 25.07.2025 को प्रकरण को बतौर परिवाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्क्रम में परिवाद पर परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं को धारा 223 बी०एन०एस०एस० एवं अपने गवाहान कामिनी एवं पुत्तू देवी को धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया। दिनांक 31.10.2025 को परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुनने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए निगरानीकर्तागण को धारा 316(2), 251(2), 115(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त/निगरानीकर्तागण द्वारा यह आपराधिक निगरानी योजित की गयी है।

4. निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

5. निगरानी में आधार व तर्क लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है। परिवादी के साक्षी हितबद्ध हैं। परिवादी ने कथित बैनामा का उल्लेख करते हुए 60 हजार रुपया बकाया होने का कथन किया है जबकि निगरानीकर्तागण निर्धारित समय के अंदर भुगतान करने हेतु तत्पर रहे लेकिनी परिवादी ने जिस रेट में भूमि विक्रय की थी उससे अधिक धनराशि की मांग करने लगा तथा बकाया धनराशि प्राप्त करके बैनामा निष्पादन करने से मना कर दिया। मामला सिविल प्रकृति का है। परिवादी द्वारा सिविल मामले को

आपराधिक बनाने का प्रयास किया गया है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार की जाए।

6. प्रत्युत्तरदाता संख्या 02 एवं राज्य की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निगरानी के विरोध में तर्क रखे गये कि प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है। प्रत्युत्तरदाता सं० 2 ने कोई अधिक पैसे की मांग नहीं की। निगरानीकर्तागण द्वारा बेईमानी व धोखाधड़ी का कृत्य किया गया है। निगरानी निराधार है, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि प्रत्यर्थी सं० 2/परिवादी द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध विचारण न्यायालय में संस्थित किए गए परिवाद पर निगरानीकर्तागण को विचारण हेतु धारा 316(2), 251(2), 115(2) बी०एन०एस० में तलब किया गया है। परिवादी द्वारा धारा 223 भा०ना०सुं०सं० के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष अंकित कराए गए अपने बयान मे परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए बताया गया है कि कथित भूमि को उसने गीता देवी पत्नी अतर सिंह को अंकन 1,00,000/– रुपये में विक्रीत किया जिसमें से उसे अंकन 40 हजार रुपये दे दिया किन्तु शेष धनराशि अंकन 60 हजार रुपये नहीं दिया तथा मांगने पर टाल मटोल किया व मारपीट की। साक्षीगण पी०डब्लू० 1 एवं 2 कामिनी व पुत्तू देवी द्वारा भी परिवादी के कथनों का समर्थन विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 225 भा०ना०सुं०सं० के अंतर्गत दिए गए अपने बयानों में किया गया है। कथित विक्रयपत्र दिनांकित 12.09.2017 की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली पर विद्यमान है जिसके अवलोकन से विदित है कि परिवादी जगरूप द्वारा निगरानीकर्ता गीता देवी पत्नी अतर सिंह के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है जिसमें क्रेता का पति अतर सिंह गवाह संख्या 01 के रूप में अंकित है। उक्त विक्रयपत्र में कुल अंकन रुपया 1,00,000/– में से अंकन रुपया 40000/–विक्रेता (परिवादी) द्वारा प्राप्त कर लेना तथा शेष अंकन रुपया 60000/– छः माह में प्राप्त कर रसीद लिख देने, का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह तो स्पष्ट है कि शेष अंकन रुपया 60 हजार की धनराशि बैनामा पंजीकरण के समय बकाया रही और बाद में इसी बकाया धनराशि को परिवादी द्वारा मांगे जाने पर तथाकथित विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर ही निगरानीकर्तागण को तलब किया।

8– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तलबी के स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विपक्षी को तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया

मामला बनता है अथवा नहीं। इस स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाता। निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी में लिये गये अन्य आधार, बचाव साक्ष्य का विषय है जिन पर इस स्तर पर विचार किया जाना विधि अनुसार अनुमन्य नहीं है। विचारण के स्तर पर निगरानीकर्तागण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर होगा एवं उनको परिवादी के साक्षियों से जिरह करने का भी अधिकार प्राप्त है।

9– उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकी 31.10.2025 विधिसम्मत हैं एवं अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए बलहीन होने के कारण निगरानी खण्डित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी खण्डित की जाती है।

निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख नियमानुसार संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 30.06.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 30.06.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद